❖ उपचार योजना

कार्य योजना इस प्रकार तैयार की जाती है कि उपचार योग्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर विभिन्न प्रकार के कार्य भारत सरकार की मार्गदर्शिका अनुसार तय किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वर्षा जल का वेग कम से कम किया जावें एवं अधिक से अधिक वर्षा जल बरसने के स्थान पर ही इकट्ठा किया जावें। साथ ही अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो एवं ग्रामवासियों एवं पशुधन की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उन्हें भोजन, पानी, चारा एवं जलाऊ लकड़ी मिलती रहे। इसके अतिरिक्त सीमान्त एवं गरीब किसानों को उनकी कृषि उपज बढ़ाने में सहायता हो सके एवं भूमिहीन ग्रामवासियों को कुटीर उद्योग लगाने हेतु प्रोत्साहित व सहायता कर उनका जीवन स्तर ऊंचा हो सके।

❖ परियोजना में करवाये जाने वाले कार्य

1. मिट्टी के कटाव एवं वर्षा जल के संरक्षण के लिए खेतों में कन्टूर बण्ड्स मय ऑउटलेट फार्म पोण्ड, कृषि, बंजर एवं वन भूमि में नालों एवं पानी बहाव के रास्ते में मिट्टी/पत्थर के चैक डेम, चैक डेम जाली से बाधंकर (गेबियन), तालाब (परकोलेशन टैंक), सिल्ट डिटेनशन स्ट्रक्चर एवं एनिकट (वॉटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर) का निर्माण किया जाता है।
2. वन एवं बंजर भूमि में वृक्ष, झाड़ी एवं घास लगाना।
3. किसानों की निजी भूमि पर उन्नत फलदार, छायादार व जलाऊ लकड़ी प्रजाति के पौधे लगाने हेतु बांटना एवं अकृषि भूमि में चारागाह विकास एवं बीजारोपण करना।
4. सभी मृदा कार्यो पर वनस्पतिक आवरण करना।
5. कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु स्थानीय ग्रामवासियों को नवीन किस्में एवं विधियां अपनाने हेतु प्रेरित व सहायता करना।
6. भूमिहीनों को कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षित व सहायता करना।

❖ जन भागीदारी

उपजलग्रहण क्षेत्र के उपचार की योजना में स्थानीय जनों का सहयोग लिया जाता है। योजना तैयार करने से पूर्व स्थानीय ग्रामवासियों से तारतम्य स्थापित करने हेतु प्रवेश बिन्दु गतिविधि (Entry Point Activity) का कार्य स्थानीय आवश्यकता एवं ग्रामवासियों से विचार विमर्श कर कार्यान्वित की जाती है। उपजलग्रहण क्षेत्र में विकास के कार्य संपादन हेतु जलग्रहण समिति का गठन ग्राम सभा में किया जाता है। जलग्रहण परियोजना रिपोर्ट के प्रत्येक स्तर पर समिति की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

❖ जलग्रहण समिति

जलग्रहण समिति का गठन निम्न प्रकार किया जा रहा हैः–

1. जलग्रहण क्षेत्रों के समस्त राजस्व ग्रामों के स्थानीय ग्रामवासियों को प्रचार एवं प्रसार शिविर के माध्यम से इकट्ठा किया जाकर ग्रामसभा में सर्वसम्मति से समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।
2. सर्व सम्मति से कम से कम 10 सदस्यों का चयन जलग्रहण समिति के रूप में किया जाता है।
3. समिति में कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति, उपभोक्ता समूह, स्वयं सहायता समूह एवं महिला में से शामिल किये जाते है।
4. इस समिति का सदस्य सचिव कनिष्ठ अभियन्ता/भू संरक्षण सहायक/वनपाल/सर्वेयर होता है।
5. समिति का पंजीकरण सहकारिता विभाग में किया जाता है।